न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी बहक श्री मति संदीपा
पुत्र/श्री महावीरसिंह
मुकदमा नं. 15 /2019 जाति राजपूत नि. मलार
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 415, 416 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म नदी (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री संदीपा पुत्र/श्री महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी मलार (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा घास लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस परिवार के सदस्यों से तामिल शुदा प्राप्त अप्रार्थी द्वारा बार-बार समय चाहने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शील भकरी ख.न. 415, 416 रकबा 2.43 किस्म नदी पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर घास लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 रु. प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 729.45 (रूपये सात सौ उनतीस 45/100) शारित कायम की जाती है। ...

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2019-20
पंजिका 'ग' पत्र .... के पृष्ठ सं. 54
.... पर .... 729/- रु. की
प्रविष्टि की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner